राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

<u>निर्वाचनआवश्यक फैक्स</u>

<u>विज्ञप्ति</u>

त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2008 (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में राज्य के 12 जनपदों में माह सितम्बर 2008 में निर्वाचन कराये गये थे । उक्त निर्वाचन के दौरान जनपद की कतिपय ग्राम पंचायतो के सदस्यों, प्रधानों, सदस्य क्षेत्र पचांयत एवं सदस्य जिला पंचायत के कतिपय पदों/स्थानों के निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाने के कारण, नामांकन के दौरान विभिन्न पदों/स्थानों पर नामांकन न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से रिक्त रह गये ऐसे सभी रिक्त स्थानों/पदों पर अतिशीघ्र निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-1794/रा0नि0आ0-2/780/2007 दिनांक 20.9.2008 एवं अधिसूचना स0 1795/रा0नि0आ0-2/780/2007 दिनांक 20.9.2008 निर्गत की जा चुकी है। उक्त अधिसूचना के जारी होने के साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी की जाती है।

ह0.
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त

<u>संख्या-1796(1)/रा0नि0आ0अनु0-2/780/2007 तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. मंडलायुक्त, गढवाल/कुमायूॅं।
5. उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव ।
6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)।

ह0.
(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त